

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
आदेश

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6738/2018

Raghvendra Sharma S/o Sarvesh Chand Sharma B/c
Brahmin, Aged About 33 Years, R/o 01, Chobdar Gali,
Kotpada, Police Station Badi, Tehsil Badi, District Dholpur,
Raj.

-----Accused/Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp.

---Respondent

2. Ashok Kumar Tiwari S/o Shri Shiv Shankar Lal B/c
Brahmin, Aged About 58 Years, R/o Near Jubli Hall, Gaurav
Path Dholpur, Police Station Kotwali Dholpur, Presently
Working As Assistance Engineer HTM, Jaipur Discom,
Dholpur, Raj.

-----Complainant/Respondent

आदेश दिनांक

29 मार्च, 2019

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री धीरज सिंघल अधिवक्ता याची की ओर से
श्री अरविन्द कुमार चावला विद्वान् लोक अभियोजक वास्ते राज्य

सत्यमेव जयते

विद्वान् अधिवक्ता याची ने निवेदन किया है कि याची ने यह याचिका
धारा-482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर आलौच्य
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-11/2018 अन्तर्गत धारा-143,332,353,427 व
504 भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना- बाड़ी सदर जिला धौलपुर (एनेक्चर-
1) को निरस्त किये जाने के निवेदन के साथ प्रस्तुत की है परन्तु बाद
अनुसंधान पुलिस ने इस प्रकरण में नकारात्मक अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर
दिया है।

तदनुसार याची द्वारा प्रस्तुत यह याचिका वापिस लिये जाने के आधार पर अस्वीकार की जाती है। उक्त स्थिति में संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार किया जाता है।

(न्या० बनवारी लाल शर्मा)

अनिलशर्मा/M-123



सत्यमेव जयते